प्रेस नोट

दिनांक 03.08.2022

सराहनीय कार्य जनपद अमेठी पुलिस

अमेठी पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी करके हत्या के अभियुक्त को मा0 न्यायालय द्वारा आजीवन कारावास एवं 10 हजार रूपया अर्थदंड की सजा सुनायी गयी।

माननीय न्यायालय में लम्बित मुकदमों की प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त को सजा दिलाये जाने के अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक अमेठी के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक के पर्यवेक्षण में मानीटरिंग सेल द्वारा प्रभावी पैरवी करके माननीय न्यायालय रायबरेली में चल रहे मु0अ0सं0 184/19 धारा 302 भादवि थाना शिवरतनगंज जनपद अमेठी में अभियुक्त लवकुश मौर्या पुत्र रामबक्श मौर्या नि0 रुकुनपुर मजरे जुगराजपुर थाना शिवरतनगंज जनपद अमेठी को दोषी सिद्ध कराने में सफलता प्राप्त हुई। परिणाम स्वरूप माननीय न्यायालय एफ0टी0सी0 प्रथम रायबरेली द्वारा दिनांक 03.08.2022 को आजीवन कारावास एवं 10 हजार रूपया अर्थदंड से दंडित किया गया, अर्थदंड न अदा करने पर 01 वर्ष का अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गयी।

घटना का संक्षिप्त विवरणः-

वादिनी श्रीमती पूजा मौर्या पुत्री रामबक्श मौर्या नि0 रुकुनपुर मजरे जुगराजपुर थाना शिवरतनगंज जनपद अमेठी के दिनांक 15.09.2019 को समय करीब 17:07 बजे थाना शिवरतनगंज पर तहरीरी सूचना दी कि वादिनी के भाई द्वारा कुल्हाड़ी से मारकर वादिनी के पिता रामबक्श की हत्या कर दी गयी, इस सूचना पर थाना शिवरतनगंज पर मु0अ0सं0 184/19 धारा 302 भादवि थाना शिवरतनगंज जनपद अमेठी पर पंजीकृत होकर विवेचक निरीक्षक श्री भरत उपाध्याय द्वारा की गयी। विवेचना के दौरान अभियुक्त लवकुश के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य पाये जाने पर आरोप पत्र संख्या ए-122 दिनांक 29.10.2019 को माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया था।